

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कनवास, (कोटा)
जिला - कोटा
राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/अन्य पिछड़ा वर्ग /21394063660
दिनांक: 08-11-2021
आवेदन का आधार नंबर: 714284491820
आवेदन / परिवार के मुखिया का जनसंवाहण कार्ड संख्या 4782206705

यह प्रमाणित किया जाता है कि
01. श्री दिपक पुत्र/पुत्री श्री राजेन्द्र प्रसाद, माता का नाम - श्रीमती सावित्री बाई, राजस्थान राज्य के जिला कोटा पता- हरिपुरमाजी, डोटी, सांगोद, कोटा के/की निवासी है तथा ये और या इनका कुटुम्ब यहाँ स्थाई रूप से निवास करता है/करती है/करते हैं।
02. उक्त श्री दिपक राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.प.11(164) आर.एण्ड पी./एस. जे ई.डी./09/47032 दिनांक 25.08.2009 से अधिसूचित राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़े वर्गों की अधिकृत व अधिसूचित सूची में सम्मिलित वर्गों में से 15 DHAKAD (15 धाकड़) वर्ग/जाति के/की सदस्य हैं।
03. उक्त श्री दिपक आरक्षण हेतु उक्त वर्ग के फिगीलेयर संबंधी राज्य सरकार के कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना सं.प.7(8) कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 25.08.2009 में उल्लिखित श्रेणियों के मापदण्ड के अनुसार फिगीलेयर (सम्पन्न वर्ग) का/की नहीं है।

- नोट:
1. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की अधिसूचना सं.एफ.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
 2. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोत्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजात की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकता है।
 3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजात जिसे के सम्बंधित प्रदात अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
 4. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः इसी कार्य के लिये मान्य है।
 5. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 210409430152

*नोट: के पिछड़े वर्गों के लिये राजस्थान सरकार के अधीन क्षेत्रों में निवासियों और पढ़ाई तथा राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों में आरक्षण के प्रयोजनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, कनवास, (कोटा)

Signature valid

Digitally signed by
RAJESH DAGA
Date: 2021.11.08 13:45:31
+05:30
Reason: Approved
Location: Rajasthan